न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर बइजलास कुमार पाल गौतम आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या 09/19 राजस्व विविध

नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सी–38 सार्दुलगंज, बीकानेर जरिये उपमहाप्रबंधक(तकनीकी) सहीराम पुत्र श्री रामनाथसिंह, जाति जाट, निवासी सी–38 सादुलगंज, बीकानेर

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. शुभकरणसिंह पुत्र अचलसिंह, जाति चारण निवासी पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर
2. भुमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5 व 6) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रपाल शर्मा उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं.1 की तरफ से अधिवक्ता श्री धन्नेसिंह उपस्थित।

: आदेश :

दिनांक 04.02.2019

1. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया सी–38, सार्दुलगंज, बीकानेर जरिये उपमहाप्रबंधक (तकनीकी) सादुलगंज, बीकानेर ने प्रार्थना पत्र बनाराजगी आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि को वाणिज्यक उपयोग की भूमि मानकर अवार्ड पारित किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत अप्रार्थी सं. 1 के हक में जारीशुदा मुआवजा राशि को वसूल करने के आदेश प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एडमिशन के बिन्दू पर सुनवाई हेतु सुनिश्चित किया गया । इस दौरान अप्रार्थी नं.1 श्री शुभकरण सिंह पुत्र अचल सिंह जाति चारण की ओर से उनकी अधिवक्ता श्री धन्नेसिंह राठौड़ ने उपस्थित आकर वकालतनामा व आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया।

3. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहससुनी गई।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी की संपत्ति का अवार्ड दिनांक 21.03.16 व पूरक अवार्ड दिनांक 31.05.18 को पारित करने से पूर्व अप्रार्थी ने अपनी समस्त आपत्तियां व अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल व व्यवसायिक डीएलसी दर से मुआवजा दिये जाने का आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया जिसे पूर्णतया नहीं मानकर अवार्ड पारित किया गया। नेशनल हाईवे अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु बाबत पूर्व से ही सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय में रेफेरेंस का प्रकरण लम्बित होते हुए यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बिना सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण बाबत श्रीमान को बतौर आर्बीटेशन के कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं है। विद्वान वकील अप्रार्थी ने प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति राजस्थान, जयपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण के रेफरेंस मय आदेश पंजिका के प्रमाणित प्रतियों की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया कि मध्यस्थता प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से कार्यवाही ड्रॉप की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं. 09/19

...ान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि ...प्ति अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन/अवाप्ति हेतु अधिनियम के प्रावधानो के तहत कार्यवाही पूर्ण कर भू. का मूल्यांकन करते हुए मुआवजा गलत निर्धारण कर एवार्ड जारी किया गया है। अवार्ड में अप्रार्थी सं. 1 की निजी वाणिज्यक भूमि के लिए राशि अदा करने की अनुशंषा की गई है। अवार्ड कानून सम्मत नहीं है। उक्त भूमि का कृषि भूमि की दर से पुनः अवार्ड जारी करने के संबध में निवेदन किया गया है। अप्रार्थी सं.1 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भूमि अर्जन, पुर्नवासन, व्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर के अधीन कार्यवाही जैरकार होने का उल्लेख किया है । इस संबध में नेशनल हाईवे ऑथोरिटी से जानकारी प्राप्त कर ली जायेगी। अप्रार्थी सं. 1 की अवाप्तिशुदा भूमि को वाणिज्यक भूमि के स्थान पर कृषि भूमि मानकर उक्त भूमि का कृषि भूमि की दर से मुआवजा निर्धारित कर अवार्ड जारी करने के आदेश फरमावे व पूर्व में जारीशुदा अधिक व अतिरिक्त मुआवजा राशि को अप्रार्थी सं. 1 से वसूल करने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेजात से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी किया जा चुका है। इसी विषय वस्तु बाबत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय, जयपुर में आक्षेप के अवधारण हेतु अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में जैरकार है। रेफरेंस का प्रकरण लम्बित होते हुए प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय प्राधिकरण या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बिना सिविल न्यायालय मे लम्बित प्रकरण बाबत बतौर आर्बिटेशन के कार्यवाही करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है और ना ही कानूनन ऐसा किया जा सकता है। उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

7. आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,
बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner